डीजी–परिपत्र संख्या– 24 /2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः जुलाई 28 ,2020

विषयः–फिरौती हेतु अपहरण से सम्बन्धित अपराधों में कार्यवाही एवं विवेचना में तत्परता तथा प्राथमिकता के आधार पर अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद कराने हेतु एस0ओ0पी0।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत है कि कतिपय जनपदों में यथा– कानपुर नगर, गोण्डा, गोरखपुर आदि में फिरौती हेतु अपहरण की दुखद घटनाएं घटित हुई है। यह एक गम्भीर अपराधिक कृत्य है इस ओर पुलिस को अत्यधिक संपेदनशील होकर तत्परता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

आप सहमत होंगे कि जहां एक ओर यह एक गम्भीर अपराधिक कृत्य है वहीं दूसरी ओर अपहृत के माता–पिता एवं परिवारिक सदस्यों के लिए मानसिक आघात है। ऐसे प्रकरण में मा0 न्यायालयों/आयोगों/मीडिया में भी प्रमुखता से उठाये जाते है। अपहरण में कृत कार्यवाही से सम्बन्धित मुख्यालय स्तर से समय–समय पर पार्श्वांकित आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों का सम्यक रूप से अनुपालन नही किया/कराया जा रहा है।

डीजी परिपत्र संख्याः-24/2012 दिनांक 20.04.2012
डीजी परिपत्र संख्याः-31/2012 दिनांक 05.07.2012
डीजी परिपत्र संख्याः-11/2013 दिनांक 09.04.2013
डीजी परिपत्र संख्याः 06/2013 दिनांक 02.02.2013
डीजी परिपत्र संख्याः-12/2013 दिनांक 11.04.2013
डीजी परिपत्र संख्याः-08/2016 दिनांक 16.02.2016
डीजी परिपत्र संख्याः-52/2016 दिनांक 24.08.2016
डीजी परिपत्र संख्याः-42/2017 दिनांक 07 12.2017
डीजी परिपत्र संख्याः-32/2018 दिनांक 21.06.2018

इस प्रकार के अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु अपराध का पंजीकरण, विवेचनात्मक कार्यवाही, बरामदगी आदि के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देश अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैः–

➢ **अपराध पंजीकरण/विवेचनाः–**

- घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल का थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाये।
- यदि शिकायतकर्ता का स्पष्ट आरोप है कि अपहृत/अपहृता का अपहरण किसी अपराध घटित करने के उदेश्य से हुआ है तो तदानुसार अपराध उचित धारा में पंजीकृत होगा, जैसा यदि अपहृत/अपहृता का अपहरण हत्या के उद्येश्य से किया गया है तो 364 भादवि पंजीकृत होगा।
- फिरौती हेतु अपहरण से सम्बन्धित अपराधों में अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 364ए भादवि के अन्तर्गत पंजीकृत कर कार्यवाही की रूपरेखा का निर्धारण किया जाए।
- विवेचना में यदि आवश्यकता होगी तो भादवि एवं अन्य अधिनियमों की धारा की बढ़ोत्तरी विवेचना में अपराधिता के प्रकट होने पर की जायेगी।

- ऐसे प्रकरणों में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नही की जायेगी। ऐसा न करने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष व हेड मोहर्रिर व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे।
- अपहृत/अपहृता की सकुशल बरामदगी कराने हेतु थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्ययोजना एवं पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय बनाकर टीमों का गठन कर कार्य आवंटित किया जाये।
- अपहरण के उदेश्य यथा रंजिश, फिरौती आदि से सम्बन्धित है इन सम्भावनाओं पर गहनता से विचार विमर्श करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की जाये।
- अपहृत की उम्र, पृष्ठभूमि, उसके माता–पिता तथा नाते–रिश्तेदारों के विषय में जानकारी सभी श्रोतों से अविलम्ब एकत्रित की जाए।
- अपहरण का स्थान, अपहरणकर्ता द्वारा प्रयुक्त वाहन, अपहरणकर्ता की मांग, अपहरणकर्ता एवं अपहृत के बीच सम्बन्ध, क्या अपहरणकर्ता पहले से जानने वाले हैं, किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की दुश्मनी है, के सम्बन्ध में सभी जानकारी अविलम्ब एकत्रित कर ली जाए।
- फिरौती हेतु अपहरण के मामलों में 24 घण्टे के अन्दर अपहृत/अपहृता का फोटो सहित पूर्ण विवरण प्राप्त कर प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों में प्रेषित कर वहां से जानकारी हासिल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर इसका उल्लेख अभियोग दैनिकी में किया जाए।
- यदि स्कूल से बच्चे का अपहरण किया जाता है तो क्या किसी ने अपहरणकर्ता का गाड़ी अथवा मोटर साइकिल का नम्बर नोट किया है, तो उसे प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। यथासम्भव वीडियो फुटेज आदि भी प्राप्त की जाय।
- यदि अपहृत/अपहृता के परिवारीजनों के पास कहीं से कोई कॉल आती है तो उसका नम्बर प्राप्त कर टेलीफोन एक्सचेंज से विवरण प्राप्त कर कार्यवाही करें।
- पीड़ित परिवार से समन्वय बनाकर जनपद में नियुक्त सर्विलांस टीम को लगााया जाय जो अपहरणकर्ताओं की हर गतिविधि पर 24 घण्टे निगरानी रखेगी।
- फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में पूर्व में सम्मिलित अपराधियों पर भी सक्रिय निगरानी रखते हुए उनकी संलिप्तता के आधार पर कार्यवाही की जाय।
- यदि अपहृत के पास मोबाइल फोन है तो उससे सम्बन्धित डाटा जो उपलब्ध हों, उसका तकनीकी परीक्षण तथा परिष्करण भी नियमानुसार कराया जाए। इस कार्य हेतु जनपद में सक्रिय सर्विलांस टीम को लगाया जाये।
- अपहृत/अपहृता का सम्भावित स्थानों पर गहराई से छानबीन करायी जाए।
- फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में विशेष अपराध आख्या, अपराध पत्रावली खोली जाए तथा प्रत्येक निर्धारित स्तर पर इनका निकटस्थ पर्यवेक्षण किया जाए।
- अपहृत/अपहृता की बरामदगी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया जाए तथा आवश्यकतानुसार एसटीएफ की सम्बद्धता हेतु उच्चाधिकारियों से तत्काल सम्पर्क स्थापित किया जाए।

- शिकायताकर्ता को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जायेगा और उन्हे कदाचित यह परामर्श नहीं दिया जायेगा कि वह पहले बच्चे को स्वयं ढूंढ ले। क्योकि इससे कार्यवाही प्रारम्भ करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।
- थाने पर समस्त कर्मियों को इस ओर संवेदनशील बनाये कि वह शिकायतकर्ता के साथ शिष्ट और भद्र व्यवहार करें और कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करें।
- यदि प्रकरण में किसी आपराधिक गिरोह के संलग्न होने का संदेह हो तो एक से अधिक टीमें बनाकर समस्त सूचनाएं एकत्रित करते हुए तेजी से अपराधियों को पकड़ने तथा अपहृत/अपहृता को तत्काल बरामद किया जाए।

➢ **<u>तकनीकी सहायता:–</u>**

- फिरौती हेतु अपहरण के प्रकरणों में अविलम्ब अपहृत/अपहृता का पूर्ण विवरण प्राप्त कर सम्बन्धित मोबाइल फोन नम्बरों को तकनीकी सहयोग से अपहरणकर्ता के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किया जाए।
- नामित अभियुक्तों से भी की गयी पूछताछ की वीडियो रिकार्डिंग, अभियुक्त का पोलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस टेस्ट विधि सम्मत कराये जाए और विधिक आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्त को पुलिस रिमाण्ड पर लिया जाए।
- यदि अवयस्क (बालक/बालिका) का अपहरण हुआ है तो https://trackthemissingchild.gov.in पर विवरण और यदि वयस्क का हुआ है तो http://www.missingperson.in वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराये।

➢ **<u>प्रचार–प्रसार:–</u>**

- विवेचना प्रारम्भ होते ही अपहृत/अपहृता का हुलिया विभागीय व्हाट्सअप समूहों, एससीआरबी, एनसीआरबी, समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों को 24 घण्टे के अन्दर प्रेषित किया जाए।
- पम्पलेट छपवाकर उसे सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाए।

➢ **<u>फिरौती हेतु अपहरण की विवेचना का पर्यवेक्षण:–</u>**

- सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा लम्बित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा कर इसकी आख्या जनपदीय पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में इन अपराधों की समीक्षा की जायेगी तथा मासिक आख्या परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- परिक्षेत्रीय पर्यवेक्षण अधिकारी पर्यवेक्षण के जनपदों में ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में घटनाओं की तीव्रता पर संवेदनशील स्थानों की समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन देंगे तथा जनपदों में ताल–मेल बनायेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को सूचीबद्ध कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हो सके।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने प्रथम पर्यवेक्षण आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि उपरोक्त कार्यवाहियां कहां तक सुनिश्चित की गयी है और यदि किसी बिन्दु पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

➢ **<u>विशिष्ट ईकाईयों की सहायताः–</u>**

- आवश्यकतानुसार जनपदीय स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों में सहायता हेतु सम्बन्धित जनपद प्रभारी एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला चाइल्ड हेल्पलाइन एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता अपने विवेक से ले सकते है।
- अपने परिक्षेत्रीय पर्यवेक्षण अधिकारी से समन्वय बनाकर जटिल मामलों में आवश्यकतानुसार एसटीएफ की भी मदद हेतु अनुरोध किया जायेगा।

मै चाहूंगा कि आप उपरोक्तांकित सभी बिन्दुओं पर संवेदनशील होकर जनपद में एक कार्यशाला आयोजित कर जनपद के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इसका अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता परिलक्षित हो रही हो तो सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी) 8/7/12

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   <u>प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।</u>

<u>प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0।